मेजर दलपत सिंह के बलिदान दिवस पर उपमुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि दी

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विद्याधर नगर में स्मृति शिक्षण संस्थान का अनावरण किया

जयपुर । राजस्थान की वीर भूमि के अमर सपूत हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह के बलिदान दिवस पर विद्याधर नगर स्थित रावना राजपूत भवन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर मेजर दलपत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को याद किया।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा,''मेजर दलपत सिंह का बलिदान केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक महान प्रेरणा है। उन्होंने इजराइल के हाइफा शहर को आजादी दिलाकर

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मेजर दलपत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर स्मृति शिक्षण संस्थान का किया अनावरणस्मृति शिक्षण संस्थान का अनावरण किया।

- **मेजर दलपत सिंह के बलिदान दिवस पर विद्याधर नगर स्थित रावना राजपूत भवन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया**

भारत ही नहीं, बल्कि राजस्थान का नाम भी वैश्विक मानचित्र पर गौरवान्वित किया है।''

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में वर्तमान सरकार शहीदों और महापुरुषों के सम्मान में कई योजनाएं चला रही है। इन प्रयासों से नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना और इतिहास के प्रति सम्मान लगातार बढ़ रहा है।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह स्मृति शिक्षण संस्थान का भी अनावरण किया। यह संस्थान आने वाली पीढ़ियों को न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें अपने गौरवशाली इतिहास से भी जोड़ेगा।

कार्यक्रम में महिलाओं ने उपमुख्यमंत्री का स्वागत51 किलो की फूलों की मालापहनाकर किया। यह सम्मान समाज की ओर से उनके योगदान और प्रयासों के लिए था।दिया कुमारी ने कहा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।

उन्होंने महिलाओं, बच्चों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया।कार्यक्रम में संयोजकरणजीत सिंह,मोहन सिंह हाथोज,गुमान सिंह जोधा,गिरवर सिंह शेखावत,श्याम सिंह चोहान,महिपाल सिंहसहित समाज के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

अग्रसेन जयंती शोभायात्रा में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने की शिरकत:- अग्रसेन जयंती के अवसर पर मंगलवार को सीकर रोड पर भव्य शोभायात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भाग लिया। उन्होंने पूजा-अर्चना कर शोभायात्रा को रवाना किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज के पुरुषों और महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिया कुमारी ने कहा कि अग्रवाल समाज सदैव सेवा कार्यों और धार्मिक आयोजनों में अग्रणी रहा है।

उन्होंने कहा, चाहे सेवा भवनों का निर्माण हो या शोभायात्राएं, समाज ने हमेशा एकजुटता और सौहार्द का परिचय दिया है।उपमुख्यमंत्री ने भगवान महाराजा अग्रसेन जी को समाजवाद और संतुलित व्यवस्था का प्रतीक बताते हुए कहा कि उनके आदर्श आज भी समाज के लिए प्रेरणादायक हैं।

इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी में रियायतों का उल्लेख करते हुए कहा, इस फेस्टिवल सीजन में जीएसटी को सरल और जनउपयोगी बनाया गया है, जिससे व्यापारियों पर करों का बोझ कम होगा और आम जनता को भी वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध होंगी। उन्होंने सभी से स्वदेशी अपनाने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का आव्हान किया।

'निशुल्क यूनिफॉर्म योजना में ओ.बी.सी. व ई.डब्लू.एस. छात्राओं को पुन: शामिल करे'

जयपुर। आल इंडिया ओ बी सी कांग्रेस नेता एवं स्टेट ओ बी सी एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य राजेन्द्र सेन ने राजस्थान सरकार द्वारा पहली से 8वीं तक के सामान्य-ओबीसी के 15 लाख छात्र और 9 से 12वीं तक की 12 लाख छात्राएं को निशुल्क यूनिफार्म योजना से बाहर करने का विरोध करते हुए सरकार को चेताया है कि गरीब और ओ बी सी समाजो की छात्राओं को निधुल्क यूनिफार्म योजना के तहत निशुल्क यूनिफार्म देना जारी रखे वरना आने वाले पंचायत और निकाय चुनावों में इन छात्राओं के द्वारा घर घर, गांव गांव, ढाणी ढाणी विरोध दर्ज कराया जायेगा

सेन ने बताया कि शिक्षा विभाग विद्यार्थियों से जुड़ी योजनाओं में लगातार कटौती कर रहा है। लैपटॉप योजना, पद्माक्षी पुरस्कार, विवेकानंद छात्रवृत्ति और शिक्षक सम्मान के बाद अब निशुल्क यूनिफॉर्म योजना पर कैंची चलाई है।

सेन ने कहा कि अब पहली से 8वीं कक्षा तक के सामान्य और ओबीसी वर्ग के बालकों को इस योजना से बाहर कर दिया है। इन दोनों वर्गों के 15 लाख बालकों को अब यूनिफॉर्म की राशि नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं 9वीं से 12वीं तक की 12 लाख बालिकाओं को भी योजना से वंचित कर दिया है।

सेन ने बताया की सरकार लगातार विद्यार्थी और शिक्षकों से जुड़ी इन योजनाओं कटौती करती जा रही है

पहले सरकार ने 8-10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में राज्य व जिला स्तर पर टॉप रहने वाले सरकारी स्कूलों के 27900 लैपटॉप देने की घोषणा की थी।

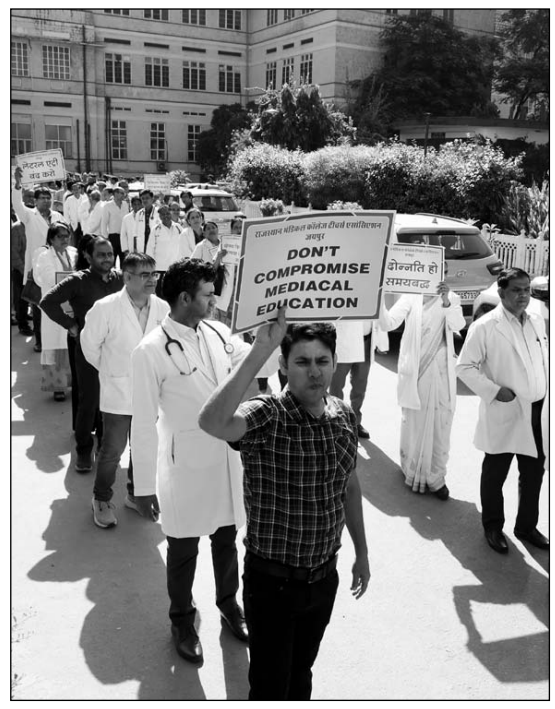

डॉक्टर ने रैली निकाली , कार्य का बहिष्कार किया।

नौकरी दिलाने के बहाने विवाहिता से दुष्कर्म

जयपुर। बगरू थाना इलाके में नौकरी दिलाने के बहाने होटल में बुलाकर एक विवाहिता से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी है।

पुलिस के अनुसार भांकरोटा की रहने वाली 35 वर्षीय विवाहिता ने मामला दर्ज करवाया है कि कुछ समय पहले आरोपित युवक से उसकी मुलाकात हुई थी। होटल में नौकरी दिलाने का झांसा देकर मिलने का दबाव डाला। 21 सितंबर को बगरू इलाके में स्थित एक होटल में नौकरी दिलाने के बहाने मिलने बुला कर दुष्कर्म किया। होटल से जाते समय किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पडताल में जुटी है वहीं श्याम नगर थाना इलाके में 19 वर्षीय एक लड़की से दुष्कर्म की कोशिश करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपित रिश्तेदार मिलने के बहाने घर आया था। पुलिस ने मामला दर्ज जांच में जुटी है।

पी.एम. मोदी व गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ याचिका में बहस पूरी

- **याचिका में नागरिकता अधिनियम में संशोधन से देश की एकता व अखंडता को खतरे में डालने और धर्म के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया गया है**
- **अदालत ने मामले में बाद में फैसला देना तय किया है**

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के खिलाफ नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर दायर याचिका पर बहस पूरी हो गई। है। अदालत ने मामले में बाद में फैसला देना तय किया है। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश याचिकाकर्ता अधिवक्ता पूरणचन्द्र सेन की याचिका पर दिया। याचिका में नागरिकता अधिनियम में संशोधन से देश की एकता व अखंडता को खतरे में डालने और धर्म के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया गया है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एएसजी आरडी रस्तोगी ने पक्ष रखा। जबकि राज्य सरकार की ओर से एजी राजेन्द्र प्रसाद ने पैरवी की। केन्द्र सरकार की ओर से एएसजी रस्तोगी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून किसी भी धर्म का विरोधी नहीं है।

वहीं देश में बनने वाला कोई भी कानून गृह मंत्री, कानून मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बनाते हैं। कानून संसद की ओर से बनाया जाता है। ऐसे में पीएम मोदी और दोनों मंत्रियों पर आरोप लगाना गलत है। इसके अलावा याचिकाकर्ता स्वयं संसद में मौजूद नहीं था तो मिलीभगत का आरोप कैसे लगा सकता है। वहीं नागरिकता अधिनियम में संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। याचिकाकर्ता ने कानून का दुरुपयोग किया है। ऐसे में उसकी याचिका को भारी हर्जाने के साथ खारिज किया जाना चाहिए। दूसरी ओर महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि याचिकाकर्ता ने जो मुद्दा उठाया है, वह संबंधित निचली अदालत के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। इसलिए निचली अदालत ने परिवाद को खारिज कर कोई गलती नहीं की है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिका पर फैसला बाद में देना तय किया है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019 भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्षता और अनुच्छेद-15 के विपरीत है। इस संशोधन के कारण मुस्लिमों के साथ भेदभाव हुआ है। देशभर में अराजकता का माहौल उत्पन्न हुआ है और देश की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचा है। संशोधन के बाद देशभर में अनेक स्थानों पर सांप्रदायिक घटनाएं हुई, लेकिन पुलिस ने या तो एफआईआर दर्ज नहीं की या फिर आधी-अधूरी की है। इसके अलावा निचली अदालत ने भी मामले में दायर परिवाद को खारिज कर कानून की त्रुटि की है।

मानसिक स्वास्थ्य विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे : हाईकोर्ट

- **अदालत ने शिक्षण संस्थाओं में मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने को लेकर भी जानकारी पेश करने को कहा है**

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार सहित यूजीसी से पूछा है कि मानसिक स्वास्थ्य विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही अदालत ने शिक्षण संस्थाओं में मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने को लेकर भी जानकारी पेश करने को कहा है। अदालत ने मामले में शिक्षा मंत्रालय, प्रमुख शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक और यूजीसी सहित सीबीएसई को नोटिस जारी कर जवाब तलब भी किया है।

जस्टिस एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश सुजीत स्वामी व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता अमित दाधीच ने अदालत को बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मिली जानकारी के अनुसार साल 2015 से 2023 तक कोटा, बारां और झालावाड में 12 से तीस साल के 1799 लोगों ने आत्महत्या की। वहीं 2021 से गत मार्च माह तक दस से तीस साल की उम्र के सीकर में 464, जयपुर दक्षिण में 172 और जोधपुर पूर्व में 187 सहित अन्य जगहों में दर्जनों लोगों ने आत्महत्या की है।

इसके अलावा एनसीआरबी की साल 2022 की रिपोर्ट के अनुसार देशभर में सात फीसदी से अधिक आत्महत्या छात्रों से संबंधित है। वहीं 2 फीसदी से अधिक किशोर अपराध दर भावनात्मक तनाव से जुडी है। याचिका में कहा गया कि शैक्षिणक संस्थानों में न तो मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र बने हैं और ना ही मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति की गई है।

इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य विषय को पाठ्यक्रम में भी शामिल नहीं किया गया है। जबकि यदि शैक्षिणक संस्थानों में ही विद्यार्थियों को मानसिक दबाव से निपटने के लिए तैयार किया जाए तो आत्महत्याओं पर काफी हद तक कमी लाई जा सकती है।

याचिका में गुहार की गई है कि सभी शैक्षिणक संस्थानों में अगले छह माह में प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की नियुक्ति के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जाए। वहीं आयु और कक्षा अनुसार मानसिक कल्याण पाठ्यक्रम भी लागू किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए इस संबंध में उठाए जा रहे कदमों की जानकारी मांगी है।

डाक विभाग भर्ती में फर्जी मार्कशीट से नौकरी पाने वाले गिरफ्तार

फर्जी मार्कशीट के आधार पर नौकरी प्राप्त करने के आरोप में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

जयपुर । भारतीय डाक विभाग में नौकरी पाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने वाले एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। जहां अलवर पुलिस ने ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) के पद पर फर्जी मार्कशीट के आधार पर नौकरी प्राप्त करने के आरोप में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई तब की गई जब डाक विभाग की आंतरिक जांच में इन दस्तावेजों के फर्जी होने का पता चला। एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि साल 2022 में हुई भर्ती प्रक्रिया में 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर नियुक्ति दी गई थी। नियुक्ति के बाद जब डाक विभाग ने सफल उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जाँच करवाई तो हितेश कुमार, साहिल, मनीषा नैना, शैलेन्द्र कुमार और पिंटू कुमार जैसे कुछ लोगों ने तमिलनाडु के चेन्नई बोर्ड की जाली मार्कशीट जमा करने का पता चला।

इस मामले में पहले हितेश कुमार को गिरफ्तार किया गया था। अब पुलिस ने शैलेन्द्र कुमार निवासी मुड़िया खेड़ा, खैरथल-तिजारा को भी गिरफ्तार किया है, जिसने बताया कि उसने यह फर्जी मार्कशीट अपने दोस्त संदीप यादव के माध्यम से प्राप्त की थी। संदीप यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। संदीप ने स्वीकार किया कि उसने एक कोचिंग सेंटर के संचालक से अपने और शैलेन्द्र के लिए फर्जी अंकतालिकाएं बनवाई थीं।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू

जयपुर। सहकार सदस्यता अभियान के अंतर्गत आमजन सहकारी समितियों की सदस्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके लिए सहकारिता विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से समन्वय कर एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है।

ऑनलाइन सदस्यता आवेदन पत्र का लिंक राज सहकार पोर्टल://...पर उपलब्ध है। साथ ही, पैक्स व्यवस्थापक या केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा में सम्पर्क कर भी लिंक प्राप्त किया जा सकता है। सदस्यता ग्रहण करने के इच्छुक व्यक्ति लिंक पर जाकर एसएसओ आईडी के माध्यम से अथवा सीधे ही एसएसओ आईडी पर लॉगिन कर स्वयं ही ऑनलाइन सदस्यता फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए केवल जनाधार नम्बर की आवश्यकता होगी। सहकारिता के खुली सदस्यता के सिद्धान्त के अंतर्गत अठारह वर्ष या अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो संबंधित सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र का निवासी हो, ऑनलाइन आवेदन कर समिति की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। राज्य में 2 से 15 अक्टूबर तक सहकार सदस्यता अभियान संचालित किया जाएगा।

सार-समाचार

टॉप रेसा ट्रैवल मार्ट पेरिस में राजस्थान पवेलियन का उद्घाटन

जयपुर/ पेरिस। फ्रांस के पेरिस शहर में मंगलवार को आयोजित टॉप रेसा ट्रैवल मार्ट में राजस्थान पर्यटन विभाग भी भाग ले रहा है। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के निर्देशन में राजस्थान राज्य के पर्यटन को अंतराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से टॉप रेसा ट्रैवल मार्ट (पेरिस) में भाग लिया जाकर, प्रमुख सचिव पर्यटन राजेश कुमार यादव द्वारा राजस्थान पवेलियन का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर निजी क्षेत्र के उद्यमी, फ्रांसीसी मीडिया और अन्य आमंत्रित जन उपस्थित रहे। प्रमुख सचिव पर्यटन राजेश कुमार यादव ने बताया कि राजस्थान पवेलियन में स्थानीय टूर ऑपरेटरों, मीडिया, प्रभावशाली लोगों, ब्लॉगर्स आदि के लिए एक रोड शो होगा और फ्रांस में भारतीय दूतावास द्वारा एक और रोड शो की योजना बनाई जा रही है। राजस्थान हर साल बड़ी संख्या में फ्रांसीसी पर्यटकों का स्वागत करता है। इस भागीदारी का उद्देश्य राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देना है।

इमेज सेमिनार संपन

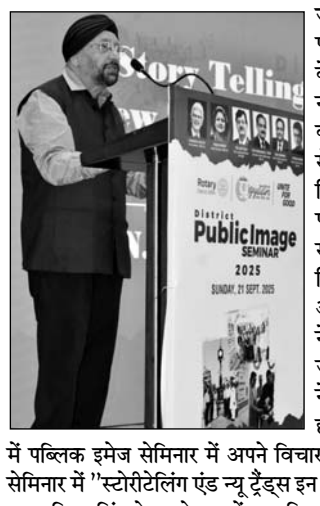

जयपुर । आज के समय में पब्लिक रिलेशंस (पीआर) केवल सूचना का आदान-प्रदान नहीं है, बल्कि यह स्टोरीटेलिंग की कला है, जो ब्रांड को लोगों से जोड़ती है। तकनीक चाहे जितनी भी बदल जाए, लेकिन पीआर की नींव आज भी स्टोरीटेलिंग, कनेक्शनंस और विश्वसनीयता पर ही टिकी है। आज के दौर में नेटवर्क ही आपकी नेट वर्थ है। यह बात वरिष्ठ जनसंपर्क विशेषज्ञ, जगदीप सिंह ने रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3056 द्वारा हाल ही में होटल क्लार्क्स आमेर में पब्लिक इमेज सेमिनार में अपने विचार व्यक्त करते हुए कही। उन्होंने सेमिनार में ''स्टोरीटेलिंग एंड न्यू ट्रैंड्स इन पीआर'' विषय पर अपने विचार साझा किए। सिंह ने अपने सत्र में आधुनिक पीआर के कुछ प्रमुख ट्रैंड्स पर भी प्रकाश डाला, जिनमें एआई, इंफ्लुएंसर मार्केटिंग, यूजर-जेनरेटेड कंटेंट, डिजिटल-फर्स्ट पीआर एंड क्राइसिस मैनेजमेंट, और एक्सपीरिएंशल पीआर जैसी नई स्ट्रैटेजीस शामिल हैं। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि भले ही तकनीक और रचनात्मकता का मेल जनसंपर्क को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा हो, लेकिन मानवीय स्पर्श की भूमिका आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में पब्लिक इमेज- रोटरी की जीवनरेखा और ब्रांडिंग व सोशल मीडिया जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सत्र आयोजित किए गए। गौरतलब है कि सेमिनार का उद्देश्य रोटरी के सार्वजनिक छवि को सुदृढ़ करना, मीडिया के माध्यम से सेवा कार्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और रोटरी सदस्यों को बदलती संचार तकनीकों से परिचित कराना था।

पांच हजार रुपये का इनामी अपराधी बेंगलुरु से गिरफ्तार

जयपुर। मुहाना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच हजार रुपये के इनामी अपराधी केशव कोली निवासी महवा जिला दौसा हाल मुहाना को पुलिस थाना जिगानी बेंगलुरु से दस्तयाब किया गया है। आरोपित मामला दर्ज होने के बाद से जयपुर शहर से फरार होकर मुंबई,गोवा और कर्नाटक के अलग-अलग शहरों में फरारी काट रहा था। फिलहाल आरोपित से पूछताछ की जा रही है। थानाधिकारी गुरु भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि आरोपित केशव कोली दुष्कर्म के मामले में काफी दिनों से फरार चल रहा था।

गहलोत महसूस कर रहे है राजनीतिक असुरक्षा, भूल गए विपक्ष का धर्म : सतीश पूनिया

- **गहलोत सहन नहीं कर पा रहे सामान्य परिवार के व्यक्ति का मुख्यमंत्री बनना, वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर समझते हैं फंडामेंटल राइट्स : सतीश पूनिया**

जयपुर। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अशोक गहलोत के बयान पर तिखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गहलोत राजनीतिक असुरक्षा महसूस कर रहे है और विपक्ष की भूमिका सही तौर पर नहीं निभा पा रहे। सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रेस वार्ता आयोजित की।

इस तरह के अनर्गल बयानबाजी कर रहे है। विपक्ष में रहने के बावजूद गहलोत एक आंदोलन तक नहीं कर पाएं, अगर उनको विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए कॉचिंग की जरूरत है तो मैं देने को तैयार हूं। पूनिया ने कहा कि गहलोत अब बे-सिर पैर की बातें कर रहे है। इतने बड़े राजनीतिक कद वाले व्यक्ति अगर बे-सिर पैर की बातें करते है तो समझ से परे है। आखिर गहलोत क्या करना चाहते है यह समझ से परे है, वे विपक्ष का धर्म तक भूल गए है। उनकी बातों से ऐसा प्रतित होता है कि गहलोत एक सामान्य परिवार से आने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने की बात सहन नहीं कर पा रहे। गहलोत मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना फंडामेंटल राइट्स समझते है।

भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि गहलोत ने आज अपने कालखंड को याद दिला दिया, गहलोत के कार्यकाल में राजस्थान महिला अपराध, दुष्कर्म, बच्चों की तस्करी, पेपरलीक में देश में नंबर वन था। गहलोत के कार्यकाल में राजस्थान में रोज 17 दुष्कर्म की वारदात हो रही थी, 8 हत्याएं रोज हो रही थी, 2018 से लेकर 2023 तक कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा गई थी। इन्होंने राजस्थान जैसे शांति प्रिय प्रदेश में 10 प्रतिशत अधिक सांप्रदायिक दंगे करवा दिए। कोरोनाकाल में जहां रोज 162 मौतें हो रही थी, इनकी सरकार बाड़े में बंद थी, अपने ही पार्टी के वरिष्ठ नेता के खिलाफ राजद्रोह जैसा मुकदमा दर्ज करवाने वाले गहलोत की प्रेसवार्ता सिर्फ दिखावटी थी, हकीकत तो वे अपने ही नेताओं को उजागर कर रहे थे। गहलोत घूम फिरकर 2020 में चले जाते है। राजस्थान में अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पेपरलीक जैसे मामलों के चलते गहलोत जी को सत्ता से बाहर जाना पड़ा था।

पूनिया ने कहा कि उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि काम कुछ करना नहीं और अखबारों की सुर्खियों में अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए बयानबाजी करते है। कांग्रेस पार्टी की फितरत है कि सत्ता से बाहर होने पर उनको कुछ समझ नहीं आता।उन्होंने कहा कि कन्हैयालाल हत्याकांड पर सवाल उठाने वाले गहलोत भूल गए कि यह अपराध गहलोत के कार्यकाल में ही हुआ।

'जिंदा बम प्रकरण में अभियुक्तों के खिलाफ हैं पर्याप्त साक्ष्य'

- **13 मई, 2008 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद जिंदा मिले बम के मामले में अभियुक्तों को मिली आजीवन कारावास के खिलाफ सरकार ने अपना जवाब दिया**

जयपुर। शहर में 13 मई, 2008 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद जिंदा मिले बम के मामले में अभियुक्तों को मिली आजीवन कारावास के खिलाफ पेश अपील में राज्य सरकार ने अपना जवाब पेश किया है। जस्टिस अवनीश झिंगन और जस्टिस बीएस संधू ने मामले में 13 अक्टूबर को सुनवाई तय की है। अदालत ने यह आदेश शाहबाज हुसैन और सरवर आजमी की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए।

अपील में शाहबाज हुसैन व सरवर आजमी की ओर से कहा गया कि अधिवक्ता फारुख अहमद व अन्य वकीलों ने कहा कि घटना में हुए बम धमाकों में दर्जनों लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। उस मूल मामले को लेकर दर्ज आठ एफआईआर में याचिकाकर्ताओं को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया था। ऐसे में यह मामला उसी घटना से जुडा है और इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। ऐसे में जब मूल मामले में ही याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट बरी कर चुका है तो जिंदा बम में मामले में अलग से सजा देने का कोई आधार ही नहीं है। ऐसे में इस मामले में भी उन्हें दोषमुक्त किया जाए। जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश कर कहा गया कि जिंदा बम को लेकर पूरी कार्रवाई अलग से चली है और अभियोजन पक्ष के बाद याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है। ऐसे में निचली अदालत का आदेश सही है। निचली अदालत में विशेष लोक अभियोजक रहे सागर तिवारी ने बताया कि बम कांड की विशेष अदालत ने दोनों याचिकाकर्ताओं सहित मोहम्मद सैफ और सैफुर्रहमान को गत 8 अप्रैल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।